THE UTTAR PRADESH OFFICIAL LANGUAGE, (SUBORDINATE COURTS) ACT, 1970

(U.P. Act No. 17 OF 1970)

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title, and extent
2. Amendment of section 137 of Act V of 1908
3. Amendment of section 137 of Act V of 1898
4. Repeal of Ordinance no. 4 of 1970

(The following English translation of the Uttar Pradesh Raj Bhasha (Adhinastha Nyayalaya) Adhiniyam, 1970 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 1970), as passed by the Uttar Pradesh Legislature, received the assent of the President on April,1970 under Article 201 of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh *Gazette* Extraordinary dated April 8, 1970)

THE UTTAR PRADESH OFFICIAL LANGUAGE, (SUBORDINATE COURTS) ACT, 1970
(U.P. Act No. 17 OF 1970)
(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

_____

AN
ACT

To provide for the replacement of English by Hindi as the language of judgements and orders of subordinate courts

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Official Language (Subordinate Courts) Act, 1970. — Short title, and extent

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

2. In section 137 of the Code of Civil Procedure, 1908, in sub section (3), the following provision thereto shall be inserted, namely:- — Amendment of section 137 of Act V of 1908

"Provided that with effect from such date as the State Government in consultation with the High Court may, by notification in the *Gazette* appoint, the language of every judgment, decree or order passed or made by such courts or classes of courts subordinate to the High Court and in such classes of cases as may be specified shall only be Hindi in Devanagri script with the international form of Indian numerals."

3. In section 367 of the Code of Criminal Procedure, 1898 in sub-section (1), the following proviso thereto shall be inserted, namely: — Amendment of section 137 of Act V of 1898

"Provided that with effect from such date as the State Government in consultation with the High Court may by notification in the Gazette appoint, the language of every judgment or order passed or made by such courts or classes of courts subordinate to the High Court and in such classes of cases as may be specified shall only be Hindi in

Devanagri script with the international form of Indian numerals."

4. The Uttar Pradesh Official Language (Subordinate Courts Ordinance, 1970, is hereby repealed. Repeal of Ordinance no. 4 of 1970

(''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) विधेयक, 1970 पर दिनांक 7 अप्रैल, 1970 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1970 के रूप में उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण में 3 अप्रैल, 1970 को प्रकाशित हुआ।)

उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1970)

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ]

अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों तथा आदेशों की भाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी रखने की व्यवस्था करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अधिनियम, 1970 कहलाएगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 5, 1908 की धारा 137 का संशोधन

2— सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 137 की उपधारा (3) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थातः—

''प्रतिबन्ध यह है कि उस दिनांक से जिसे राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ ऐसे न्यायालयों या वर्गों के न्यायालयों द्वारा और ऐसे वर्गों के वादों में, जो निर्दिष्ट किये जाएं, पारित किए गए या दिए गए प्रत्येक निर्णय, डिक्री या आदेश की भाषा केवल देवनागरी लिपि में लिखित व भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के सहित हिन्दी होगी।''

अधिनियम संख्या 5, 1898 की धारा 367 का संशोधन

3— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 367 की उपधारा (1) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थातः—

''प्रतिबन्ध यह है कि उस दिनांक से जिसे राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ ऐसे न्यायालय व वर्गों के न्यायालयों द्वारा और ऐसे वर्गों के वादों में, जो निर्दिष्ट किये जाएं, पारित किए गए या दिए गए प्रत्येक निर्णय या आदेश की भाषा केवल देवनागरी लिपि में लिखित व भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के सहित हिन्दी होगी।''

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4, 1970 का निरसन

4— उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अध्यादेश, 1970 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।